मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल

विषय :– राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की आठवीं बैठक, दिनांक 19/08/2008 का कार्यवाही विवरण ।

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उ़द्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की आठवीं बैठक दिनांक 19/08/2008 को श्री सत्य प्रकाश, प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों की सूची परिशिष्ट पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये :–

1. एजेण्डा क्रमांक – 1 : समिति की सातवीं बैठक दिनांक 28/03/2008 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।

2. **एजेण्डा क्रमांक – 2 : समिति की सातवीं बैठक दिनांक 28/03/2008 के पालन प्रतिवेदन के संबंध में सदस्य सचिव व्दारा समिति को अवगत कराया गया। समिति पालन प्रतिवेदन से अवगत हुई ।**

3. **एजेण्डा क्रमांक – 3 : मेसर्स नर्मदा एक्सट्रूजन लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर का प्रथम वर्ष 2006–07 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। इकाई के समिति को संबोधित पत्र दिनांक 18/08/2008 द्वारा अवगत कराया गया है कि ट्राईफेक द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र में उनका एक उत्पाद 'फेब्रिक्स' का उल्लेख नहीं है तद्संबंधी संशोधन हेतु वे ट्राइफेक को आवेदन कर रहे हैं, इसलिये उनके क्लेम प्रकरण में अभी निर्णय नहीं लिया** जावे। प्रकरण पर आगामी बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया।

4. एजेण्डा क्रमांक – 4 : मेसर्स मैहर सीमेंट, सरला नगर, मैहर, जिला सतना का प्रथम वर्ष 2006–07 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग व्दारा अवगत कराया गया कि इकाई द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में किये गये पूँजी निवेश में अधिकतम पूँजी निवेश केप्टिव पावर प्लांट में किया गया है एवं इकाई की स्थापित क्षमता 1 मिलियन टन है तथा विस्तार के पूर्व विगत 3 वर्षो का औसत उत्पादन 1.26 मिलियन टन है। विस्तार के पूर्व वर्ष में उत्पादन 1.43 मिलियन टन है, तत्सम्बंध में स्थिति स्पष्ट कराई जाना आवश्यक प्रतीत होता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के सुझाव के आधार पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना से विस्तारित क्षमता हेतु कौन–कौन से कार्य किये गये हैं तथा प्लांट एवं मशीनरी में पूँजी निवेश किन–किन मदों में कितना–कितना किया गया है, इसके सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

5. एजेण्डा क्रमांक – 5 : मेसर्स पेंटागॉन लेब्स, देवास का प्रथम वर्ष 2006–07 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग व्दारा अवगत कराया गया कि इकाई की पूर्व स्थापित क्षमता 90 लाख आई. व्ही.फ्लूड बॉटल है तथा विस्तार के पूर्व विगत् 3 वर्षो का औसत उत्पादन 59.53 लाख बॉटल है। इकाई व्दारा विस्तारित क्षमता अन्तर्गत 106 लाख आई.व्ही.फ्लूड बॉटल का उत्पादन अधिक प्रतीत होता है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के सुझाव के आधार पर समिति व्दारा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास से विस्तार के अन्तर्गत उत्पादन के बाद का उत्पादन कितना है एवं उक्त उत्पादन इकाई व्दारा ही किया गया है, इसका स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

6. एजेण्डा क्रमांक – 6 : मेसर्स देवास मेटल सेक्शन, अमोना, जिला देवास का प्रथम वर्ष 2006–07 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग व्दारा अवगत कराया गया कि इकाई का प्रवेश कर से मुक्ति की सुविधा संबंधी प्रकरण, जो राज्य स्तरीय विनिधान संवर्धन सशक्त समिति में प्रस्तुत किया गया है, में इकाई के विस्तार के पूर्व गत् 3 वर्षो का औसत उत्पादन 10943 मी.टन हैं एवं वर्तमान में गत् 3 वर्षो का औसत उत्पादन 9010 मी.टन बतलाया गया है। तत्संबंध में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से वस्तुस्थिति स्पष्ट कराई जाकर प्रकरण आगामी बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जावे।

7. एजेण्डा क्रमांक – 7 : मेसर्स कुमिन्स टर्बो टेक्नोलॉजीज़ (पूर्व नाम टाटा होलसेट लिमिटेड) देवास का प्रथम वर्ष 2005–06 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई के प्रकरण में राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की छठवीं बैठक दिनांक 17/12/2007 में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास से विस्तारित क्षमता के अन्तर्गत दिनांक 15/01/2006 से 31/03/2006 तक की अवधि में किये गये उत्पादन के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। इसके पालन में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास से प्राप्त प्रतिवेदन से समिति अवगत हुई। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिये योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूँजी निवेश रूपये 22,37,96,218/– (रू. बाईस करोड़ सैतीस लाख छियान्वे हजार दो सौ अठारह मात्र) की केपिंग निर्धारित की गई। इकाई व्दारा विस्तारित क्षमता पर वर्ष 2005–06 में मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर, मूल्य संवर्धन कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर की कुल जमा राशि



Rwl

रूपये 1,25,25,662/– (रू. एक करोड़ पच्चीस लाख पच्चीस हजार छैः सौ बासठ मात्र) की 75 प्रतिशत इकाई की पात्रता अनुसार कुल निवेश संवर्धन सहायता राशि रूपये 93,94,247/– (रू. तिरानवे लाख चौरानवें हजार दो सौ सैंतालीस मात्र) समिति व्दारा स्वीकृत की गई।

8. एजेण्डा क्रमांक – 8 : मेसर्स एडमेनम पैकेजिंग लिमिटेड, सोनवाय राऊ, पीथमपुर वायपास, तहसील महू, जिला इन्दौर का प्रथम वर्ष 2004–05 का क्लेम प्रकरण प्ररतुत किया गया। राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की छठवीं बैठक दिनांक 17/12/2007 में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर से इकाई की विस्तारित क्षमता के अन्तर्गत दिनांक 01/03/2005 से 31/03/2005 तक की अवधि में उत्पादन के संबंध में स्पष्ट प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। इसके पालन में महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर से प्राप्त प्रतिवेदन से समिति अवगत हुई। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एंव उद्योग केन्द्र, इंदौर के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इकाई के लिये योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूँजी निवेश रूपये 6,71,49,181/– (रू. छः करोड़ इक्हतर लाख उन्चास हजार एक सौ इक्यासी मात्र) की केपिंग निर्धारित की गई। इकाई व्दारा विस्तारित क्षमता के अन्तर्गत उत्पादन पर वर्ष 2004–05 में मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धन कर एवं केन्द्रीय विक्रय कर की कुल जमा राशि रूपये 3,23,068/– (रू. तीन लाख तेइस हजार अठसठ मात्र) की 50 प्रतिशत इकाई की पात्रता अनुसार रूपये 1,61,534/– (रू. एक लाख इकसठ हजार पॉच सौ चौतीस मात्र) समिति द्वारा स्वीकृत की गई।

9. एजेण्डा क्रमांक – 9 : जिला स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति के निर्णय के विरूद्ध मेसर्स चारू एग्रो प्लास्ट प्रा. लि. इन्दौर द्वारा की गई अपील से सम्बन्धित प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का क्लेम प्रकरण



Rw

जिला स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति, इंदौर की बैठक दिनांक 05/03/2007 में उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना अन्तर्गत पंजीयन निरस्त हो जाने के कारण, निरस्त किया गया था। पंजीयन के संबंध में इकाई के अभ्यावेदन पर राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की बैठक दिनांक 24/08/2007 में पंजीयन हेतु निर्णय लिया गया है, अतः जिला स्तरीय समिति व्दारा पुनः क्लेम निरस्त करने का कारण नहीं रहता है, समिति व्दारा निर्णय लिया कि इकाई को पात्रता है, अतः इकाई के प्रकरण का निराकरण जिला स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति व्दारा किया जावे। तद्नुसार जिला स्तरीय समिति को निर्देशित किया जावे।

10. एजेण्डा क्रमांक – 10 : उद्योग निवेश संवर्धन–सहायता योजना, 2004 के अन्तर्गत मेसर्स पारले एग्रो प्रा. लि., मंडीदीप का पंजीयन बाबत् प्रकरण प्रस्तुत किया गया। चर्चा उपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अपात्र उद्योगों की सूची के अनुकमांक 43 के प्रकाश में इकाई को मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत सुविधा का लाभ नहीं दिया जा सकता, **तथापि इकाई के द्वारा किये गये निवेश को दृष्टिगत रखते हुए, यदि इकाई चाहे तो शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति के समक्ष अपना प्रकरण प्रस्तुत कर सकती है।**

11. **एजेण्डा क्रमांक – 11 : (1) मेसर्स राजरतन ग्लोबल वायर लि., औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर का मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004 के अन्तर्गत पंजीयन के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया।**

(2) राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 30.03.2007 में इकाई के प्रकरण के संबंध में निर्णय लिया गया था कि प्रबंध संचालक, ट्राइफेक द्वारा इकाई को उनके समक्ष सुनवाई का अवसर दिया जावे। दिनांक 20.06.2007 को सुनवाई का अवसर दिये जाने पर

कम्पनी के प्रबंध संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष 2003 से कम्पनी ने विरतार प्रोजेक्ट के लिए पूंजी निवेश करना प्रारंभ किया था, अतः एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होने के कारण अपने शेयर होल्डर्स के विश्वास एवं इन्टरेस्ट को बनाये रखने के लिए वर्ष 2003–04 की बेलेन्स शीट में स्थापित क्षमता 20,000 मीट्रिक टन एवं वर्ष 2004–05 में 25000 मीट्रिक टन दर्शायी गयी। बेलेन्स शीट में यह उत्पादन क्षमता अंकित करना वास्तवितक रूप से स्थापित उत्पादन क्षमता नहीं माना जा सकता।

(3) महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर एवं प्रबंधक, एम. पी. ए.के.व्ही.एन., इंदौर के संयुक्त निरीक्षण (दिनांक 20.07.2006) के प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि इकाई की स्थापित क्षमता 2003–04 में 20,000 मीट्रिक एवं 2004–05 में 25000 मीट्रिक टन थी एवं उसका आधार इकाई के अंकेक्षित वार्षिक प्रतिवेदन को दर्शाया गया। तत्पश्चात् महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर द्वारा जारी उत्पादन प्रमाण पत्र दिनांक 24.12.2007 में मार्च 2004 में कुल वार्षिक क्षमता 20000 मीट्रिक टन दर्शायी गयी है।

(4) इकाई द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 01.03.2008 एवं प्रबंध संचालक, ट्राईफेक के समक्ष सुनवाई के अवसर पर दिनांक 20.06.2007 को दिये गये उल्लेखित कथन के प्रकाश में, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर को निर्देशित किया जावे कि अंकेक्षित वार्षिक प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य तथ्यों जैसे मशीनों का क्रय, उनकी स्थापना आदि के प्रकाश में, परीक्षण कर अवगत करावे कि 31 मार्च, 2004 को इकाई की स्थापित क्षमता क्या थी? समिति ने तद्नुसार कार्यवाही कर आगामी बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

Rwl

12. **एजेण्डा क्रमांक – 12 :** मेसर्स डायनामिक ऑटो काम्प (इ) प्रा. लि., औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर का योजनान्तर्गत पंजीयन बावत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। इकाई व्दारा दो अलग–अलग प्रकार के प्रोजेक्ट को एक साथ जोड़कर पंजीयन चाहा गया है एवं उक्त प्रोजेक्ट मे पृथक–पृथक पूँजी निवेश भी एक–एक करोड़ से कम है। निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन बाबत् आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता।

13. **एजेण्डा क्रमांक – 13 :** उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् इकाइयों के उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना अन्तर्गत पंजीयन हेतु एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। चर्चा उपरांत समिति व्दारा निर्णय लिया गया कि इकाइयों के आवेदन विलम्ब से आवेदन करने के कारणों के समर्थन में शपथ-पत्र सहित प्राप्त करने के उपरान्त प्रकरण / प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

14. **एजेण्डा क्रमांक – 14 :** म.प्र. उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004 के अन्तर्गत सॉलवेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट रिफायनरी के साथ पंजीयन के संबंध में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग व्दारा अवगत कराया गया कि इस संबंध में प्रतिवेदन ट्रायफेक भोपाल को भेजा जा रहा है, जिसमें रूपये एक करोड़ से अधिक प्लांट एवं मशीनरी में पूँजी निवेश वाले सॉलवेंट एक्सट्रेक्शन प्लांट, रिफायनरी के साथ कंपोजिट प्लांट के रूप में लगते हैं, तो वह अपात्र नहीं होंगे। समिति व्दारा अनुक्रमांक–3 (खाद्य तेलों का शुद्धिकरण) पर योजनान्तर्गत अपात्र उद्योगों की सूची में संशोधन हेतु प्रस्ताव शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति को प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

15. एजेण्डा क्रमांक – 15 : मध्यप्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004 के अन्तर्गत किसी उद्यमी द्वारा पुनर्जीवित को गई कोई बन्द औद्योगिक इकाई की पात्रता के संबंध में अपात्र उद्योगों की सूची दिनांक 05/02/2008 के अनुक्रमांक 42–43 के संदर्भ में एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि किसी उद्यमी द्वारा अधिग्रहित कर पुनजीर्वित की गई बंद औद्योगिक इकाई , जिसके संबंध में पुर्नवास पैकेज मुख्य सचिव की अध्यक्षता मे गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है, **अपात्र उद्योगों की सूची के अनुक्रमांक 42, के अंतर्गत अपात्र नहीं है,** लेकिन वह पूर्व इकाई द्वारा उत्पादित होने वाले उत्पादों का ही उत्पादन करती हैं, तो सम्बन्धित इकाई अपात्र उद्योगों की सूची के अनुक्रमांक 43 के प्रकाश में अपात्र नहीं होगी एवं इकाई को म.प्र. उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना अंतर्गत सुविधा का लाभ दिया जावे। अनुक्रमांक 42 एवं 43 की प्रविष्टियों को और अधिक स्पष्ट करने के लिये प्रस्ताव, शीर्ष स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।

**उपस्थित सदस्यगण को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त हुई।**

| | |
|---|---|
| **(प्रवीण गर्ग)** | **(सत्यप्रकाश)** |
| **प्रबंध संचालक** | **प्रमुख सचिव** |
| **मध्य प्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति** | **वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति** |

परिशिष्ट

राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की आठवीं बैठक
दिनांक 19/08/2008 मे उपस्थित अधिकारियो की सूची

—

| क्र. | नाम | पदनाम एवं विभाग |
|---|---|---|
| सदस्यगण | | |
| 1 | श्री दीपक खाण्डेकर | उद्योग आयुक्त |
| 2 | श्री पी.के. दास | आयुक्त, वाणिज्यिक कर |
| 3 | श्री ए.पी. श्रीवास्तव | सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग |
| सदस्य सचिव | | |
| 4 | श्री प्रवीण गर्ग | प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.आई.डी.सी. एवं ट्राइफेक |
| अन्य उपस्थित अधिकारी | | |
| 5 | श्री राजवर्धन श्रीवास्तव | अपर प्रबंध संचालक, एम.पी. ट्राइफेक |
| 6 | श्री एच.पी. शर्मा | उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, इंदौर |